प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 415/2023

अनवान : –

1. धर्मपाल पुत्र भादरराम जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. शान्ती पत्नी भादरराम जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. कमला पुत्री भादरराम जाति जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. शिलो पुत्री भादरराम जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. सुमन पुत्री विद्या पुत्री भादरराम जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. राजेन्द्र पुत्र विद्या पुत्री भादरराम जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. इमीचन्द पुत्र विद्या पुत्री भादरराम जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति : 1. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांक: 03.06.2023**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 1 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 58/51 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि मृतक भादरराम पुत्र मंगलाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 1 जो कि वादी की माता है तथा प्रतिवादीया स0 2 व 3 जो की वादी की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है अपने पुत्र/भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है एवं प्रतिवादी स0 4 ता 6 जो की वादी की मृतक बहिन विद्या के वारिस है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने भाई व मामा के पक्ष में परित्याग कर चुके है बाद हक त्याग वाद भूमि में वादी काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 6 ने जरिये अधिवक्ता [illegible] के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन कि[illegible] वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को [illegible] वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा 1 केएनएन सम्वत 2071–74 खाता स0 58/51 प्रदर्श–1,

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:43:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

मृत्यु प्रमाण पत्र भादरराम प्रदर्श–2, मृत्यु प्रमाण पत्र विद्या देवी प्रदर्श–3, शपथ पत्र बाबत वारिसान प्रदर्श–4 आदि प्रदर्शित करवायें।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की कि उक्त वाद भूमि वादी की संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 6 का बहिब हक हिस्सा है। वाद भूमि में प्रतिवादी स0 1 ता 6 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 1 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 58/51 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि मृतक भादरराम पुत्र मंगलाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र व पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा मृतक भादरराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 6 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 1 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 58/51 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि मृतक भादरराम पुत्र मंगलाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक भादरराम पुत्र मंगलाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 3/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 मे मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–फेफाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:43:40 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 415/2023

अनवान : –

1. धर्मपाल पुत्र भादरराम जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. शान्ती पत्नी भादरराम जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. कमला पुत्री भादरराम जाति जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. शिलो पुत्री भादरराम जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. सुमन पुत्री विद्या पुत्री भादरराम जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. राजेन्द्र पुत्र विद्या पुत्री भादरराम जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. इमीचन्द पुत्र विद्या पुत्री भादरराम जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 415 सन 2023 निर्णय दिनांक 03.06.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 1 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 58/51 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि मृतक भादरराम पुत्र मंगलाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक भादरराम पुत्र मंगलाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 3/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:43:40 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–फेफाना